



कार्यालय: प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय बनबसा
चम्पावत (उत्तराखण्ड) 262310



वश्यक सूचना/प्रवेश-2023

दिनांक: 10/07/2023

समर्थ पोर्टल पर राजकीय महाविद्यालय बनबसा हेतु पंजीकृत बी0 ए0 प्रथम सत्रार्ध (सत्र 2023-24) में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक: 12/07/2023 से 15/07/2023 तक समय प्रातः 11 बजे से अपराह्न 02 बजे के मध्य महाविद्यालय से प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरान्त उसे पूरित कर, काउन्सिलिंग प्रक्रिया में समय से प्रतिभाग कर प्रवेश लेना सुनिश्चित करें।

निर्धारित समय पर प्रवेश हेतु वांछित प्रपत्रों की मूल एवं छाया प्रति सहित स्वयं उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पर महाविद्यालय स्तर से कोई विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय बनबसा
चम्पावत



**प्रथम सेमेस्टर प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रपत्र
सत्यापन के दौरान महाविद्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले
आवश्यक दस्तावेज. सत्र-2023-24**

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र की डाउनलोड तथा अभिभावक माता / पिता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति।
2. विधिवत् हस्ताक्षरित अभिवचन छात्र / अभिभावक घोषणा पत्र तथा एण्टी रैगिंग शपथ पत्र (स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है।
3. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (सी.सी.) की मूल प्रति ।
4. अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
5. हाई स्कूल प्रमाण पत्र ।
6. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा अर्हकारी परीक्षा के अंकपत्रों की छाया प्रतियाँ ।
7. आधार कार्ड छायाप्रति संलग्न करें ।
8. ईयर गैप के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र । (जो प्रवेश तिथि से से 6 माह से पूर्व का न हो)
9. यदि EWS श्रेणी में अन्तर्गत आते हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र की छायाप्रति ।
10. अधिमान अंकों हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियाँ (उदाहरणार्थ- एन०सी०सी०ए एन०एस०एस०ए खेलकूद इत्यादि । विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.ssju.ac.in में यथा निर्देशित हैं।
11. एण्टी ड्रग ऑनलाईन ई-शपथ कार्यक्रम सहभागिता प्रमाण पत्र की हार्ड कापी अनिवार्य संलग्न करें ।

नोट.1. प्रवेश अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि प्रवेश आवेदन पत्र सत्यापन के समय वांछित समस्त दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ महाविद्यालय में अपने साथ अवश्य लायें, ।

2. प्रवेश अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.ssju.ac.in में दिये गये प्रवेश नियमों को भली-भाँति पढ़ लें।

3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अवधि से पूर्व का न हो ।

4. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा।